संख्या-81/2022/425(1)/21640691(1)/12-5002(001)/3/2022

प्रेषक,

अमर चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक:: 28 अक्टूबर, 2022

विषय:-अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 97-बाह्य सहायतित योजनाओं, 9704-उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट-।।। (विश्व बैंक पोषित) के अन्तर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में 1914.00 लाख के सापेक्ष प्रथम तीन किश्तों की निर्धारित धनराशि रू० 957.00 लाख (रूपये नौ करोड़ सत्तावन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू०सं०लेखा/सोडिक लैण्ड/वित्तीय स्वीकृति/2022-23/223डी, दिनांक 08 जुलाई, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम को पूर्व में संचालित सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना की अवशेष देनदारी एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 97-बाह्य सहायतित योजनाओं, 9704-उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट-।।। (विश्व बैंक पोषित) के अन्तर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू० 1914.00 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ चौदह लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम तीन किश्तों की निर्धारित धनराशि रू० 957.00 लाख (रूपये नौ करोड़ सत्तावन लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. प्रकरण मा0 न्यायालय के आदेश/अनुपालन से संबंधित है, ऐसे में प्रश्नगत भुगतान के मामले में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही धनराशि के आहरण एवं व्यय की कार्यवाही की जायेगी।
2. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व विभाग द्वारा संबंधित कर्मचारियों की मानदेय एवं वेतन मद की वास्तविक देयता का पुनः एकबार निर्धारण एवं मिलान करते हुए वास्तविक देयता के सापेक्ष ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
3. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग मा0 न्यायालय के आदेश से आच्छादित संविदा एवं प्रतिनियुक्ति के कर्मचारियों के देयकों के भुगतान हेतु ही किया जायेगा।
4. ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में प्रशा0 विभाग द्वारा प्रथमतः यह निर्धारण करा लिये जाने के बाद ही किया जायेगा कि ग्रेच्युटी का भुगतान पैतृक विभाग से किया जाना है अथवा प्रतिनियुक्ति के विभाग से।
5. प्रश्नगत धनराशि कोषाकार से सीधे संबंधित संविदा एवं प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे कर्मचारियों के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी न कि भूमि सुधार निगम के खाते में।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों/कार्यों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
8. विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि इस हेतु पूर्व मंे किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।
9. अनुमोदित धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

11. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

12. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

13. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

14. विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

15. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू० 957.00 लाख **(रूपये नौ करोड़ सत्तावन लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2402001039704 उ.प्र सोडिक लैण्ड रिक्लेमेसन **प्रोजेक्ट-।।। (विश्व बैंक पोषित) मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य** (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-1-180-X-2022-23,** दिनांक 12-09-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. अपर कृषि निदेशक (प्रसार) कृषि भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन)/संबंधित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।